भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 997

(जिसका उत्तर मंगलवार, 03 मई, 2016 को दिया गया)

मामला संख्या 107/2013 के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का प्रतिवेदन

997. श्री दिलीपभाई पंडयाः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महानिदेशक (डीजी) ने एसोसिएशन ऑफ थर्ड पार्टी एडिमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा जनरल इन्श्योरर्स (पब्लिक सेक्टर) एसोसिएशन ऑफ इंड़िया (जी आई पी एस ए), सरकारी क्षेत्र को सामान्य बीमा कंपनियों और भारतीय संघ के विरूद्ध भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में दर्ज मामला संख्या- 107/2013 के संबंध में अपनी जांच पूरी करके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैः

(ख) यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा;

(ग) यहि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) सरकार द्वारा इन कंपनियों और उनके उच्च पदासीन प्रबंधकों के विरूद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है/क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (घ): महानिदेशक, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिनांक 15.02.2015 को मामला संख्या-107/2013 की मुख्य जांच रिपोर्ट और दिनांक 15.06.2015 को अनुपूरक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग द्वारा जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पाया गया कि विरोधी पार्टियों द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया गया है और इस मामले को अधिनियम की धारा 26(6) के तहत दिनांक 04.01.2016 के आदेश द्वारा बंद कर दिया है।

*****